

ई-मेल।

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उ०प्र०,  
अनुभाग-12, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या जी - 25 12-08डी/2021

दिनांक 25-4-2023

विषय:शासनादेश संख्या-21/2016/वे० आ०-2-397/दस-2016-8(म०स०स०)/2011 टी०सी०, दिनांक 30-03-2016 के अनुरूप सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों दफ्तरी/जमादार/अर्दली इत्यादि को ग्रेड वेतन रूपये 1800/- के स्थान पर रू० 1900/- ग्रेड वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के राजस्व अनुभाग-4 के पत्र संख्या-16/एक-4-2023, दिनांक-04-01-2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।


2- शासन द्वारा उक्त पत्र के अन्तर्गत वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-21/2016/वे०आ०-2-397/दस-2016-8(म०स०स०)/2011 टी०सी०, दिनांक 30-03-2016 की प्रति संलग्न कर सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों दफ्तरी/जमादार/अर्दली इत्यादि को ग्रेड वेतन रूपये 1800/- के स्थान पर रू० 1900/- ग्रेड वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के मण्डलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान तथा कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पद तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों एवं रिक्त पदों का विवरण तथा ग्रेड वेतन परिवर्तित किये जाने पर आने वाले वार्षिक व्ययभार का आंकलन करते हुए वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30-03-2016 व राजकीय विभागों में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-2052/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-09-2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर संस्तुति सहित आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मण्डलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान तथा कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रारूप पर एक सप्ताह के भीतर परिषद को (ई-मेलआई0डी0-borsection 12 @gmail.com पर) उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

मण्डल/ जनपद का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण					ग्रेड वेतन 1900/- प्रदान किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	अनुमानित व्ययभार
	पद नाम(यथा दफ्तरी/जमादार /अर्दली इत्यादि)	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन/ग्रेड वेतन		
योग							

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(अनिल कुमार यादव)

अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,  
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-4, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार यादव)

अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,  
कृते आयुक्त एवं सचिव।



जी-25

13.1.2023

संख्या- 16 / एक-4-2023

15815

अ०आ०-12

12-01-2023

प्रेषक,

राम रतन  
विशेष सचिव,  
उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद,  
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4लखनऊ: दिनांक 04, जनवरी, 2023

विषय- शासनादेश संख्या- 21/2016/वे० आ०-2-397/दस-2016-8(मु०स०स०)/2011टी०सी०, दिनांक 30.03.2016 के अनुरूप सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्चारियों दफ्तरी/जमादार/अर्दली इत्यादि को ग्रेड वेतन रूपये 1800/- के स्थान पर रू० 1900/- ग्रेड वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2655/12-08डी/2021 दिनांक 15.11.2022 का कृपया मन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मण्डलायुक्त/कलेक्ट्रेट कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-21/2016/वे० आ०-2-397/दस-2016-8(मु०स०स०) / 2011टी०सी०, दिनांक 30.03.2016 (द्वयाप्रति संलग्न) के प्राविधानानुसार विभागीय आदेश निर्गत कर ग्रेड वेतन 1800 के स्थान पर ग्रेड वेतन 1900 किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के मण्डलायुक्त / कलेक्ट्रेट कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पद तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों एवं रिक्त पदों का विवरण तथा ग्रेड वेतन परिवर्तित किये जाने पर आने वाले वार्षिक व्ययभार का आंकलन करते हुए वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2016 व राजकीय विभागों में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चिकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे० आ०-2-2052/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08.09.2010 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर संस्तुति सहित आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,

  
(राम रतन)

विशेष सचिव।

श्री अमरेश्वर  
13/01/23

S.O.12

  
12/01/2023

(103)

